

63. उदाराम पुत्र पूनमाराम उम्र - 48 वर्ष

64. चम्पादेवी पत्नि मांगीलाल उम्र-45 वर्ष

सभी जाति ब्राह्मण, निवासी बाण्डानाडा तह
सिणधरी, जिला बाड़मेर

65. तहसीलदार सिणधरी, जिला बाड़मेर

**राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 (वास्ते-विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)**

उपस्थिति-

1. श्री भंवरलाल सारण, प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 03.10.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थीगण का खेत मौजा बाण्डानाडा पटवार क्षेत्र चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 280 रकबा 0.5420 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 283 रकबा 0.9951 हैक्टेयर बीघा व खसरा नम्बर 284 रकबा 0.7281 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा बाण्डानाडा पटवार क्षेत्र चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 280 रकबा 0.5420 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 283 रकबा 0.9951 हैक्टेयर बीघा व खसरा नम्बर 284 रकबा 0.7281 हैक्टेयर की पक्की नेखमबन्दी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण के खेत मौजा बाण्डानाडा पटवार क्षेत्र चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 280 रकबा 0.5420 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 283 रकबा 0.9951 हैक्टेयर बीघा व खसरा नम्बर 284 रकबा 0.7281 हैक्टेयर आई हुई है। प्रार्थीगण के

उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि

कोई पक्की माटे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा बाण्डानाडा पटवार क्षेत्र चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 280 रकबा 0.5420 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 283 रकबा 0.9951 हैक्टेयर बीघा व खसरा नम्बर 284 रकबा 0.7281 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।


4. हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि मौजा बाण्डानाडा पटवार क्षेत्र चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 280 रकबा 0.5420 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 283 रकबा 0.9951 हैक्टेयर बीघा व खसरा नम्बर 284 रकबा 0.7281 हैक्टेयर प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है, और रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है, इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती, तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करते। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा बाण्डानाडा पटवार क्षेत्र चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 280 रकबा 0.5420 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 283 रकबा 0.9951 हैक्टेयर बीघा व खसरा नम्बर 284 रकबा 0.7281 हैक्टेयर के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकरर कर की जावे। कमिश्नर फीस 1000/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।



उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

आदेश आज दिनांक 03.10.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी सिणधरी